प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निर्णय (जून 1994) के अनुसार, जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक विस्तारित किया जाता है, राज्य से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अतः यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, यह प्रतिवेदन आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भी भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में, **अध्याय I** से **अध्याय VI** तक कुल छह अध्याय सम्मिलित हैं। **अध्याय I** भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 07 नवंबर 2015 को जम्मू एवं कश्मीर हेतु घोषित पैकेज का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, **अध्याय II** से **अध्याय V** तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर द्वारा 16 पीएमडीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रेक्षणों को प्रस्तुत करते हैं और **अध्याय VI** में इन 16 पीएमडीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा के निष्कर्ष और अनुशंसाएं शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं जो वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि को समाविष्ट करते हुए मई 2019 से नवंबर 2019 तक की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये। मार्च 2019 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक हो, शामिल किये गये हैं तथा वर्तमान स्थिति को इंगित करने के लिए कार्यों के समापन की स्थिति को तदुपरांत अद्यतित किया गया है।